संख्या–5165/60–1–08–1/3(49)/02

प्रेषक,

आर0एस0 वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2008

विषय–महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के सम्यक क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के निर्बल, असहाय एवं निराश्रित महिलाओं को महती लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन हेतु पेंशन/अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकताओं में चिन्हित है, जिसमें पारदर्शिता, प्रभावी अनुश्रवण तथा सरलीकरण के दृष्टिगत इसका कम्प्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक होगा। जिसमें योजना के सफल अनुश्रवण के निश्चय ही अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

2. शासन द्वारा प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित उक्त योजना के क्रियान्वयन में लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुँचाने हेतु पेंशन/अनुदान वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्तमान वित्तीय वर्ष से कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इससे इस योजना के सक्षम एवं प्रभावी अनुश्रवण में भी विभाग को सुविधा होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2008–09 में यह पेंशन/अनुदान प्रक्रिया निम्नानुसार करायी जायेगी:–

(क)– एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये गये पेंशन/अनुदान से सम्बन्धित साफ्टवेयर पैकेज के मास्टर डाटा बेस का परीक्षण एवं उसकी शुद्धता की पुष्टि प्रत्येक जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 05 मार्च, 2009 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

(ख)– पेंशन/अनुदान से संबंधित फार्म को स्थानीय स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका सत्यापन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से 23 फरवरी, 2009 तक कर लिया जायेगा।

(ग)– डाटा इन्ट्री हेतु एजेन्सी का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार अनिवार्य रूप से 20 फरवरी, 2009 तक अवश्य कर ली जाय। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि चयनित एजेन्सी डाटा इन्ट्री करने में सक्षम हो। डी0आई0ओ0, एन0 आई0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनति एजेन्सी में डाटा इन्ट्री

—2—

होगी। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा अपने स्तर से करते रहेंगे।

(ङ)— लाभार्थी के नाम तथा खाता संख्या अपलोड करने से पूर्व बैंक द्वारा लाभार्थी के नाम तथा खाता सख्या सत्यापित करा लिया जाय।

(ढ)— पेंशन से संबंधित डाटा इन्ट्री के कार्य का भुगतान एजेन्सी को जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिलाधिकारी/समिति के अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था बजट में कर दी जायेगी।

3— इस पूरी समयबद्ध प्रकिया के नित्य अनुश्रवण के लिये मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4— यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त प्रकिया के द्वारा मात्र प्रकिया का सरलीकरण किया गया है। योजनाओं की शर्तें, धनराशि, पात्रता एवं अन्य नियम पूर्ववत् ही रहेंगे। परन्तु यदि उपरोक्त वर्णित व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था वर्तमान शासनादेशों में हैं, तो उक्त सीमा तक सम्बन्धित शासनादेश स्वमेव संशोधित माने जायेंगे।

5— उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि प्रदेश की निराश्रित एवं असहाय लाभार्थियों को योजना का समुचित लाभ मिल सके तथा पूरी प्रकिया को पारदर्शी बनाने के साथ—साथ भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(आर0 एस0 वर्मा)
सचिव

संख्या— 5165 /60—1—2008—1/3(49)/02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मंत्रि मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश।
2— समाज कल्याण, आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4— महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5— निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
6— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ
9— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10— समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11— समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अजित कुमार साहू)
संयुक्त सचिव